

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो, (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 115 वर्ष 2023

आवेदक—किसुन महतो
 ग्राम—मंजुरा
 थाना — कसमार जिला—बोकारो

क्रेता— छत्रु राम महतो
 ग्राम—मंजुरा
 थाना — कसमार जिला— बोकारो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

03

आदेश की
 क्र० सं० एवं
 तारीख
 01

आदेश

यह वाद आवेदक किसुन महतो पिता स्व० रामेश्वर महतो निवास ग्राम मंजुरा, थाना— कसमार जिला —बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:—

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
मंजुरा	98	08	328	82डी०	16 डी०	टांड दो

को वे अपने आवश्यकता वश छत्रु राम महतो निवास ग्राम मंजुरा, थाना —कसमार जिला— बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 875/रा०, दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 391 दिनांक 28.07.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:—

05. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही ग्राम मंजुरा, थाना—कसमार जिला—बोकारो का निवासी है।
06. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में कनचन महतो के नाम से दर्ज है तथा जमाबंदी बिक्रेता के दादा बुधु महतो के नाम से पंजी—II के पृष्ठ सं० 88 भोलूम 1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है।
07. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का दादा का संबंध है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
08. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, गैरमजरूआ तथा सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन कनचन महतो के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी बुधु महतो के नाम चल रही है बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की जमीन है जिसे वे अपने आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं

है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

03. बिक्रेता- सर्वे खतियान, लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

04. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही ग्राम, टोला, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करते हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हक हिस्से की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक किसुन महतो पिता स्व० रामेश्वर महतो निवास ग्राम मंजूरा, थाना कसमार जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

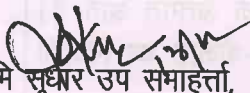
मौजा	खा ता न०	प्लॉट न ०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
मंजूरा, 98	08	328	82डी०	16डी०	फुलचन्द महतो	गिरधारी महतो वगै०	प्रकाश महतो वगै०	रास्ता

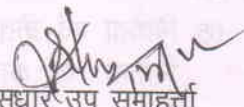
कुल- 16 डी० (सोलह डी० जमीन मात्र)

मो० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता छत्रु राम महतो पिता कमल महतो निवास ग्राम मंजूरा थाना कसमार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बेरमो(तेनुघाट)।